



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, महावीर सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 30/19

निर्णय दिनांक:- 16-10-2019

1. रावताराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी गांव नाथवाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरनसर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2019  
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थित:-

1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को तहसील लूणकरनसर के गांव नाथवाणा के खेत खसरा नम्बर 49 की 50 बीघा बारानी भूमि का संवत् 2018 में आरजी काश्त हेतु आवंटन किया तथा तत्समय ही अपीलांट को भौतिक रूप से कब्जा

सुपुर्द कर दिया गया था। तभी से वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में बतौर काश्तकार दर्ज चली आ रही थी। कालान्तर में संबंधित तहसीलदार द्वारा अपीलांट को आवंटित रकबे का निरन्तर नवीनीकरण किया जाता रहा है। संवत् 2029 के बाद नवीनीकरण की कार्यवाही बन्द कर की गई, परन्तु वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व से उपनिवेशन क्षेत्र में आने पर राजस्व कर्मचारियों ने बदनियती से अपीलांट के कब्जे काश्त व आवंटित भूमि खसरा नम्बर 49 के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 29 अंकित कर दिया गया। जबकि ऐसा करने का उन्हें कतई अधिकार हासिल नहीं था।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त वादपत्र खारिज होने की दशा में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई की वे प्रकरण में नियमानुसार तनकी कायम करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की अनुपालना नहीं करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अपीलांट के वादपत्र को खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त खारिजी आदेश की अपील प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करने पर मण्डल द्वारा अपीलांट की निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करतू हुए निर्णय पारित करें। उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वादपत्र के समर्थन में व वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आरजी तौर पर आवंटित तथा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्त ने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्त को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी इस आधार पर नहीं दे रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्त का निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि इस संबंध में राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26-11-2004 के द्वारा नियम 13 में संशोधन करते हुए यह प्रतिस्थापित किया गया है कि ऐसे अस्थाई आवंटित जिन्हें दिनांक 01-01-1995 से पूर्व भूमि आवंटित की गई थी, चाहे उनका अस्थाई आवंटन के पट्टे का नवीनीकरण किया गया है अथवा नहीं ऐसे आवंटी नियमानुसार सक्षमता के अनुसार स्थाई आवंटन पाने के अधिकारी होंगे। अपीलान्त को उक्त भूमि वर्ष 1961 में आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्त विधिक नियमों के तहत आरजी काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्त ने आगे बताया कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सेटलमेंट विभाग द्वारा जो खसरा नम्बर परिवर्तित किये गये हैं, उसे दुरुस्त कराने तथा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की जरिये वाद धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा जो तनकीयात् कायम की गई है उक्त तनकीयात् वाद के मध्येनजर सही कायम नहीं की गई एवं जो तनकीयात् कायम की गई थी उनकी सही विवेचना भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त साबित करने का प्रयास किया है। वादी गत् खसरा नम्बर 49 जिसके नये खसरा नम्बर 29/17/02 व वर्तमान खसरा नम्बर 8 तादादी 12.64 हेक्टर पर वाद वादी पूर्णतया साबित नहीं होता है। जबकि अपीलान्त द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। वादग्रस्त भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि मौके पर वर्तमान में अपीलान्त रावताराम का कब्जा काश्त है। वादगत् भूमि अपीलान्त के कब्जे काश्त की भूमि थी जिसे सरप्लस

धोषित करवाने हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की गैरखातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि गत् खसरा नम्बर 49 जिसके नये खसरा नम्बर 29/17/02 व वर्तमान खसरा नम्बर 08 तादादी 12.64 हेक्टर बीघा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018 पार्ट II पेज 1555 व आरआरडी 1993 पेज 596 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पूर्व में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार वादगत् भूमि वादीगण/अपीलांट के नाम संवत् 2028 के उपरान्त कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि भू-प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि कोई भूल रही गई अथवा भूमि कम दर्ज की गई थी तो तत्समय ही गैर खातेदारी, खातेदारी अथवा खसरा शुद्धि के बाबत् सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण को वादग्रस्त भूमि एक साला आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट चूंकि वादग्रस्त भूमि का टीसी आवंटी है, ऐसी स्थिति में टीसी आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है। अपीलांट को नियमानुसार वादग्रस्त भूमि के

नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों व रिकार्ड के बाहर जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेशों की पालना करते हुए नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद में तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक, रिकार्ड दुरुस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तहसील लूणकरणसर के गावं नाथवाणा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 49 की 50 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत भूमि तहसील लूणकरणसर के ग्राम नाथवाणा के पुराना खसरा नम्बर 50 जिसके नये खसरा नम्बर 29 तादादी 50 बीघा पैमूद हुए हैं, उक्त भूमि अपीलांट/वादी को आरजी आवंटित तथा कब्जे काश्त में थी। जिस पर अपीलांट/वादी का मौके पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर चारों तरफ बाड़ बनाकर परिवार सहित काबित है। अपीलांट को आज दिनांक तक उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा संवत् 2018 से पूर्व कब्जे काश्त की गैर खातेदारी भूमि थी जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

1. आया कि मौजा रोही नाथवाणा के पुराना खसरा नम्बर 29 तादादी 50 बीघा का वादी को काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जावे। उक्त तनकी को साबित करने का भार अपीलांट/वादी पर था।

उक्त तनकी को साबित करने के समर्थन में अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024, गिरदावरी पर्ची संवत् 2019, लगान रसीद संवत् 2019, लगान रसीद संवत् 2021 से 2025, गिरदावरी पर्ची संवत् 2018, लगान रसीद संवत् 2029, गिरदावरी पर्ची संवत् 2020, लगान रसीद संवत् 2029, गिरदावरी पर्ची संवत् 2020, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2024, खसरा गिरदावरी संवत् 2018 से 2021, खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025, खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029, खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033, खसरा गिरदावरी संवत् 2051 से 2054, खसरा गिरदावरी संवत् 2063 से 2066, गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2065 से 2068, अतिचार पत्र, गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 2071, 2072, 2073, 2974 प्रस्तुत किये गये। इसी क्रम में अपीलांट/वादी द्वारा तावान रसीद संवत् 2070, 2072, 2073, 2074 व धारा 91 के नोटिस संवत् 2065 से 2068 व अपीलांट को आवंटित भूमि गत् खसरा नम्बर 49 जिसके नये खसरा नम्बर 29/17/12 तादादी 55 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 8 तादादी 12.5 हेक्टर पैमूद हुए हैं के संबंध में सूची नम्बर चार प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त अपीलांट/वादी द्वारा अपने कब्जे काश्त के संबंध में पड़ौसी काश्तकारों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे। उक्त तमाम दस्तावेजों से यह प्रथम दृष्टया ही साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आरजी काश्त हेतु आवंटन के पश्चात् से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त तमाम दस्तावेज अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का विवेचन करते हुए उक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का तो हवाला दिया गया है, परन्तु किसी भी दस्तावेज के संबंध में अपना विवेचन अंकित नहीं किया गया है। केवल मात्र पूर्व में वाद को कब्जे काश्त के अभाव में खारिज करने का अंकन करते हुए उक्त तनकी का निस्तारण किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं थे, ऐसी स्थिति में उक्त तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अनदेखा करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जबकि किसी भी वादपत्र को केवल मात्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही साबित किया जा सकता है। अपीलांट/वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में तमाम सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जो अपीलांट के वादपत्र को साबित करने हेतु पर्याप्त सबूत थे। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर तनकी संख्या को निर्णित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

तनकी संख्या 1 के संबंध में हमारा अभिमत है कि उक्त तनकी के संबंध में अपीलांट द्वारा स्वयं तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में व संबंधित तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19-06-2017 के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि " वादगत् भूमि पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादी का लगातार कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान में भी वादगत् भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है।" इसी प्रकार भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का व सदस्य पंचायत समिति द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01-06-2017 का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि "मौके पर रावताराम पुत्र पनाराम कौम जाट बाड़ बनाकर काबिज है तथा रावताराम पुत्र पनाराम के खिलाफ समय-समय पर तावानी कार्यवाही की गई है एवं मौके पर पड़ौसियों से पुछताछ करने पर बताया कि उक्त मौके पर रावताराम का वर्षों से कब्जा है।

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में किसी प्रकार कोई संदेह अथवा प्रश्न चिन्ह नहीं है। अपीलांट/वादी द्वारा भी अपने वादपत्र में पुराने आवंटन व कब्जे काश्त के आधार पर ही खातेदारी अधिकारों की धोषणा की इस्तदुआ की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोकि भूमि-धारक है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जवाब व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व सबूत के विपरीत जाकर तनकी संख्या 1 को निर्णित किया गया है। जो विधि सम्मत नहीं होने से उक्त तनकी अपीलांट/वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया कि चिर निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी की जावे कि उपरोक्त रकबा में वादी को कब्जा काश्त से दखलअंदाजी ना करें। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था।

उक्त तनकी को निर्णित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वार तनकी संख्या 1 में प्रस्तुत दस्तोवजों, मौका रिपोर्ट, गवाहों के शपथ पत्र, मजमा आम रिपोर्ट आदि के आधार पर तनकी संख्या 2 को खिलाफ वादी तय किया गया है।

जबकि प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा तनकी संख्या 1 को साबित करने हेतु तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। मौका रिपोर्ट जिसमें अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त बताया गया है, गवाहों के शपथ पत्र जिसमें सभी गवाहान् द्वारा मौके पर अपीलांट/वादी रावताराम का कब्जा निरन्तर बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी को अपीलांट/वादी के पक्ष में निर्णित करने के स्थान पर तनकी संख्या 1 के सहारा लेते हुए उक्त तनकी को अपीलांट/वादी के खिलाफ विधि विरुद्ध तरीके से तय किया गया है।

3. तनकी संख्या 3 कायम की गई कि आया कि संवत् 2030 में उक्त रकबा टीपी दर्ज होकर अन्य को आवंटन हुआ। वादी का कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही संवत् 2029 के बाद नवीनीकरण हुआ। अतः दावा खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उक्त तनकी को संवत् 2030 से अब तक रकबा टीपी दर्ज होकर अन्य को आवंटित होने के आधार पर अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित हो या वादग्रस्त भूमि पर अन्य आवंटी का कब्जा काश्त हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर उक्त तनकी को अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय करने का कानूनी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होने पर भी परीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त तनकी को अपीलांट/वादी के विरुद्ध तय करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है।

(4) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय पूर्व में दिनांक 26-09-2006 व 28-02-2011 को पारित निर्णय को आधार मानते हुए वादपत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णयों का प्रश्न है, उक्त निर्णयों का भी अवलोकन किया गया। इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23-12-2011 को पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय पातिर करते समय न्यायालय हाजा द्वारा भी आराजी जैर पर अपीलांट का संवत् 2029 तक निरन्तर कब्जे काश्त को ध्यान में नहीं रखा गया है। न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त भूमि डूंगर वल्द पन्ना को टीपी दर्ज होकर अन्य को आवंटन होने का उल्लेख किया है, जबकि उक्त तथ्य के समर्थन में पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित होती तो ऐसी अवस्था में तहसीलदार जोकि भूमि-धारक होता है, के द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से अथवा अपने जवाब में इस आश्य की पुष्टि नहीं की गई है कि उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति को पूर्व में आवंटित की गई हो। केवल मात्र कयास के आधार पर अन्य को आवंटी व अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य पर कतई गौर किये बिना व बिना तनकीयात कायम किये मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट के वादपत्र को खारिज किया गया

है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वर्ष 2006 से निरन्तर वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने अधिकारों के बाबत् विभिन्न न्यायालय में चाराजोई की जाती रही है।

इस संबंध में राजस्व गुप-7 की अधिसूचना क्रमांक एफ 9(77)राजस्व-6/2008/15 दिनांक 31-05-2008 का अवलोकन किया गया। उक्त अधिसूचना में अभिलिखित किया गया है कि

“the person who was in possession of land as temporary cultivation lease holder in colony area and in whose favour permanent allotment of part of such land.....may be regularized in favour up to ceiling limit applicable under the Rajasthan imposition of Ceiling of Agricultural Holding Act, 1973.

लिहाजा राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया एवं प्रार्थी के आवेदन को लम्बे समय से न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने व उसके हक में अपील न्यायालय से निर्णय होने एवं राज्य सरकार के उक्त परिपत्र जो कि ऐसे काश्तकारों के हितों की रक्षा व उनके मामलों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से पारित किया है— का कोई परिशीलन नहीं किया और ना ही कोई हवाला दिया व मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/वादी का वाद निरस्त कर दिया गया।

(5) अपीलार्थी को लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् भी कोई न्याय नहीं मिला—इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एवं इस श्रेणी के काश्तकारों के हितों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में उक्त परिपत्र जारी करना समीचीन समझा।

ऐसे लाभकारी उपबन्ध जो काश्तकारों के हितों में जारी करना तात्पर्यित है, एवं ऐसा काश्तकार जो वर्षों बाद भी न्यायिक प्रक्रियाओं

के जाल में अपने कब्जे की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने की आशा में आज भी उलझा है, को इस उपबन्ध का लाभ दिया जाना यह न्यायालय उचित एवं लोकहित में आवश्यक समझता है, क्योंकि ऐसे उपबन्धों का आशय भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना तात्पर्यित है, जैसा कि उक्त परिपत्र की भाषा से परिलक्षित है।

यह खेद का विषय है हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जबकि स्थिति राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र में स्पष्ट कर दी गई है। अपीलांट की अपील केवल इस आधार पर निरस्त कर दी जाये कि अपीलांट/प्रार्थी मौके पर काबिज नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा अपने कब्जे काश्त के संबंध में पर्याप्त सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे तथा राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी में अपीलांट का नाम अंकित चला आ रहा है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 पार्ट II पेज 1555 में अभिलिखित किया गया है कि:—

Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in Indira Gandhi Canal Project Area) Rules, 1975(1) &13(5-A)-Permanent allotment-Application rejected- Even after Svt., 2058 notice given for encroachment u/sec. 91- Continuous possession of the appellant over the land & paying rent-Material to show renewal upto 1993 - Held, Order is not sustainable & set aside & ordered for permanent allotment. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

(6) परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल खसरा गिरदावरी संवत् 2018-21 में ग्राम नाथवाणा के खसरा नम्बर 49 की 50 बीघा भूमि पर रावताराम काश्तकार दर्ज है। तत्पश्चात् संवत् 2022 से 2025 की जमाबन्दी में उपरोक्त भूमि पर रावताराम काश्तकार दर्ज है। खसरा

गिरदवारी संवत् 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2051 से 2054 व खसरा गिरदावरी संवत् 2063 से 2066 में भी खसरा 49 की 50 बीघा भूमि पर रावताराम काश्तकार दर्ज है। इसीप्रकार संवत् 2065 व 2068, संवत् 2071 व 2072, संवत् 2073, 2974 में अपीलांट/वादी को अतिचार धोषित किया गया है। इसी क्रम में तावान की रसीद संवत् 2070, 2072, 2073 व 2074 व धारा 91 के नोटिस संवत् 2065, 2068 से प्रथम दृष्टया ही सबित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट/वादी का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ है।

रेस्पोजेन्ट/प्रतिवादी तहसीलदार, लूणकरनसर द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18-04-2013 को प्रस्तुत जवाबदावे में दावे के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार किया गया है तथा कहीं पर भी असहमति नहीं दी गई है। अन्त में बिन्दु संख्या 09 में "वादग्रस्त भूमि पर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादी का लगातार कब्जा काश्त बताते हुए वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त लिखते हुए वादीगण के दावे की ताईद की है। अपीलांट ने विवादित भूमि संवत् 2018 में एकसाला टीसी आवंटन होना रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया है, परन्तु उक्त आवंटन को बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के टीसी आवंटी का नाम जमाबन्दी से हटाने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। यदि एक साला या पाँच पूरा होने पर आवंटी का रकबा खारिज होता तो आगामी वर्षों में आवंटी को अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की जाती रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट संवत् 2018 से निरन्तर विवादित भूमि पर काश्तकार दर्ज रहे है। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थाई आवंटी के रूप में मान्यता दी गई है। अस्थाई आवंटन की अवधि पूरी होने पर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन खारिज करने का आदेश नहीं दिया गया है तथा ना ही अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया है इस प्रकार अपीलांट "बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ" की तिथि से विवादित भूमि के काश्तकार होना साबित है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त तथ्यों का विवेचन नहीं किया है, परन्तु इसके आधार पर गत् 60 वर्षों के रिकार्ड को नकारा नहीं जा सकता।

(7) इसप्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गवाहान से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण की भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलांट के धारण की भूमि व अपीलांट के हक व हकूकों के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। केवल मात्र पूर्व में अपीलांट/वादी के वाद का खारिज होने के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज किया गया है। जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता है।

(8) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि आवंटन के पश्चात् से ही अपीलांट के कब्जे काश्त में रही है तथा तभी से अपीलांट का वादगत् भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना कब्जे काश्त की रिपोर्ट का अवलोकन किये व बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, जबकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स के नाम निरन्तर चली आ रही है, अपीलांट का वाद खारिज करने में कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व न्यायसंगत आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2019 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर निरस्त किया जाकर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि तहसील लूणकरनसर के ग्राम नाथवाणा के पुराना खसरा नम्बर 49 तादादी 50 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 29/17/2 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 08 तादादी 12.64 हेक्टर पैमूद हुए है का गैर खातेदार धोषित किया जाता है। तदनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 16-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर